न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी :— रतन कुमार स्वामी (आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्या—17 / 2023 प्रार्थना पत्र जागीर

1 हर्षनारायण पुत्र रूड़मल
2 ईश्वर पुत्र रूड़मल
3 रमेश पुत्र रूड़मल
4 नरोतम पुत्र किशनलाल
समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण आभावास तहसील रींगस जिला सीकर

प्रार्थीगण

बनाम

1 तहसीलदार रींगस जिला सीकर
2 रामोतार पुत्र नानगराम
3 कालूराम पुत्र नानगराम
4 गोपाल पुत्र हरनाथमल पुत्र मंगलचन्द
समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण आभावास तहसील रींगस जिला सीकर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत प्रपत्र 12 ए संशोधित किये जाने ।

वकील प्रार्थी श्री कैलाश स्वामी

निर्णय — दिनांकः— 09.04.2026

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम आभावास वर्तमान तह. रींगस जिला सीकर में प्राचीन समय से अल मशहूर मन्दिर श्री बालमुकन्द जी व मन्दिर श्री बालाजी महाराज व मन्दिर श्री नृसिंह जी वाकै ग्राम आभावास वर्तमान तह. रींगस जिला सीकर में अवस्थित हैं। देवस्थान विभाग उदयपुर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के पूर्वजों के समय से ही देवस्थान विभाग की सीकर जिले की सूची क्रमांक 696, 701, 702, 713 व 714 के रूप में दर्ज है तथा देवस्थान विभाग के यहां पंजिकृत है तथा युनिटी भोग राशि हेतु प्रपत्र 12 (क) व 12 (ख) जारी किये हुये है जो जागीर रिज्यूम के समय से ही पंजिकृत है। उक्त मन्दिर की भोग राशि हेतु ग्राम आभावास वर्तमान तह. रींगस जिला सीकर की जागीरी में दी गयी भूमियों की धार्मिक जागीर रिज्युम की जाकर मन्दिर की भोग राशि हेतु क्लेम पूर्व में न्यायालय ए.डी.एम., सीकर द्वारा स्वीकृत किये जाने पर जागीर कमिश्नर द्वारा जरिए क्लेम नम्बर क्रमशः इस प्रकार से जारी किये गये— **(1)** ग्राम आभावास वर्तमान तह. रींगस जिला सीकर में मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी की जागीरी में दी गयी भूमियों की धार्मिक जागीर रिज्युम की जाकर इस न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर जागीर कमिश्नर द्वारा जरिये क्लेम नम्बर 246 दिनांक 01.07.1963 को प्रपत्र 12 (क) जारी किया गया था तथा इसके अनुक्रम में प्रपत्र 12 (ख) क्रमांक 3404—13 दिनांक 01.07.1963 को जारी किया गया। **(2)** ग्राम आभावास वर्तमान तह. रींगस जिला सीकर में मन्दिर श्री बालाजी की जागीरी में दी गयी भूमियों की धार्मिक जागीर रिज्यूम की जाकर इस न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर जागीर कमिश्नर द्वारा जरिये क्लेम नम्बर 247 दिनांक 01.07.1963 को प्रपत्र 12 (क) जारी किया गया था तथा इसके अनुक्रम में प्रपत्र 12 (च) क्रमांक 2689—98 दिनांक 01.07.1963 को जारी किया गया। **(3)** ग्राम आभावास वर्तमान तह. रींगस जिला सीकर में मन्दिर श्री बालाजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

की जागीरी में दी गयी भूमियों की धार्मिक जागीर रिज्युम की जाकर इस न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर जागीर कमिश्नर द्वारा जरिये वलेम नम्बर 248 दिनांक 01.07.1963 को प्रपत्र 12 (क) जारी किया गया था तथा इसके अनुक्रम में प्रपत्र 12 (ख) क्रमांक 1799–1810 दिनांक 01.07.1963 को जारी किया गया। (4) ग्राम आभावास वर्तमान तह. रींगस जिला सीकर में मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी की जागीरी में दी गयी भूमियों की धार्मिक जागीर रिज्यूम की जाकर इस न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर जागीर कमिश्नर द्वारा जरिये क्लेम नम्बर 249 दिनांक 01.07.1963 को प्रपत्र 12 (क) जारी किया गया था तथा इसके अनुक्रम में प्रपत्र 12 (ख) क्रमांक 3419–27 दिनांक 01.07.1963 को जारी किया गया। (5) ग्राम आभावास वर्तमान तह. रींगस जिला सीकर में मन्दिर श्री नृसिंह जी की जागीरी में दी गयी भूमियों की धार्मिक जागीर रिज्युम की जाकर इस न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर जागीर कमिश्नर द्वारा जरिये क्लेम नम्बर 280 दिनांक 01.07.1963 को प्रपत्र 12 (क) जारी किया गया था तथा इसके अनुक्रम में प्रपत्र 12 (ख) क्रमांक 1859–61 दिनांक 01.07.1963 को जारी किया गया। आवेदन में प्रश्नगत मन्दिरो की सेवा पूजा पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के पूर्वज करते थे जिनकी काफी समय पूर्व मृत्यु हो चुकी है तथा उनके शेष वारिशान गांव छोडकर अन्यत्र बस चुके है। वर्तमान में उक्त मन्दिरो की सेवा पूजा प्रार्थी सं. 1 ता 3 हिस्सा 1/3 व प्रार्थी सं. 4 हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी स. 2 ता 4 को हिस्सा 1/3 के हिस्से अनुसार सेवा पूजा करते आ रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के पूर्वजो की मृत्यु के पश्चात् से ही आवेदन में प्रश्नगत मन्दिरो की सेवा पूजा व भोग राग की व्यवस्था की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 ही करते है तथा मन्दिर की सेवा पूजा, आरती व भोग राग को व्यवस्था हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पूर्वजो के स्थान पर प्रश्नगत मन्दिरो की सेवा पूजा व भोग राग की व्यवस्था प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के अलावा अन्य कोई नहीं कर रहा है तथा ना ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के पूर्वजो ने अपने जीवन काल में किसी को गोद लिया हैं व कोई वसीयत ही को हैं प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 4 ही मन्दिर की व्यवस्था करते आ रहे है जिसमें मन्दिर हितो को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण युनिटी (भोग) राशि प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हैं। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदन में वर्णित हिस्सेनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में मन्दिर श्री बालमुकन्द जी व मन्दिर श्री बालाजी महाराज व मन्दिर श्री नृसिंह जी वाकै ग्राम आभावास वर्तमान तह. रींगस जिला सीकर की युनिटी (भोग राशि) प्राप्ति हेतु उत्तराधिकारी घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उज्रदारी नोटिस जारी किया गया। उज्रदारी नोटिस पर किसी प्रकार का ऐतराज नही आया। प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री कैलाश स्वामी ने वकालतनामा पेश किया तथा साक्ष्य के रुप में प्रार्थी हर्षनारायण, ईश्वर पुत्रगण रूड़मल जाति ब्राहमण, प्रहलाद सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवसीगण आभावास व शुभम शर्मा पुत्र महेश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भोया तह. सीकर के शपथ पत्र पेश किये गये। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी मन्दिरों की सूची पेश की। देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी मन्दिरों की सूची जिसके क्लेम नम्बर 246 में मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी, क्लेम नम्बर 247 में मन्दिर श्री बालाजी, क्लेम नम्बर 248 में मन्दिर श्री बालाजी, क्लेम नम्बर 249 में मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी, क्लेम नम्बर 280 में मन्दिर श्री नृसिंह जी, वाकै ग्राम आभावास तह. रींगस अंकित है। तहसीलदार रींगस से रिपोर्ट ली गई। बहस सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने मन्दिर श्री बालमुकन्द जी व मन्दिर श्री बालाजी व मन्दिर श्री नृसिंह जी वाकै ग्राम आभावास के पूर्व पुजारीगण की मृत्यु हो जाने बाबत निवेदन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मन्दिरों की सूची के मुताबिक मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी के पक्ष में क्लेम नम्बर 246 राशि 3.18 पैसे, मन्दिर श्री बालाजी के पक्ष में क्लेम नम्बर 247 राशि

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

1.83 पैसे, मन्दिर श्री बालाजी के पक्ष में क्लेम नम्बर 248 राशि 11.68 पैसे, मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी के पक्ष में क्लेम नम्बर 249 राशि 57.12 पैसे, मन्दिर श्री नृसिंह जी के पक्ष में क्लेम नम्बर 280 राशि 35.41 पैसे का स्वीकृत किया हुआ है। उज्रदारी नोटिस जारी किये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपति नही आई है। पत्रावली पर उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत आभावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2023 में ग्राम आभावास में मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी एवं इसी परिसर में मन्दिर श्री बालाजी तथा मन्दिर श्री नृसिंह जी का अवस्थित होने एवं वर्तमान में सेवा पूजा व भोग आदि की व्यवस्था पुजारी हर्षनारायण, ईश्वरलाल, रमेश कुमार पुत्रगण रूड़मल, नरोतम पुत्र किशनलाल, रामोतार कालूराम पुत्रगण नानगराम व गोपाल पुत्र हरनाथमल समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण आभावास द्वारा सेवा पूजा करने बाबत अंकित किया गया है। तहसीलदार रींगस से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.02.2026 में अंकित किया गया है कि "मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी, मन्दिर श्री बालाजी व मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके ग्राम आभावास में अवस्थित है। मन्दिरों में दोनों समय सेवा पूजा मन्दिर पुजारियों द्वारा अपने-अपने ओसरावार किया जाता है। मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी के ग्राम आभावास में कृषि भूमियां भी है जिन्हे बंटाई आदि पर दी जाकर एवं कुछ परिवारों द्वारा खेती कार्य किया जाता है। मन्दिर के पुजारियों का सजरा खानदान उपस्थित मौतविरानों द्वारा बताये अनुसार तैयार किया गया। पुजारी परिवारों में अधिकतर व्यक्ति या उनके वारिसान जयपुर, सीकर, रींगस इत्यादि स्थानों पर निवास करने बाबत अंकित किया हुआ है।" इस प्रकार तहसीलदार रींगस से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी, मन्दिर श्री बालाजी व मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके ग्राम आभावास की सेवा पूजा वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा किये जाने बाबत अंकित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत आभावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र व साक्ष्य शपथ पत्रों के मुताबिक मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी, मन्दिर श्री बालाजी व मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके ग्राम आभावास के पूर्व पुजारीयों की मृत्युपरांत उक्त मन्दिरों की वर्तमान में सेवा पूजा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा की जा रही है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः

आज्ञा है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी, मन्दिर श्री बालाजी व मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके ग्राम आभावास तह. रींगस जिला सीकर के पूर्व पुजारियों की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण प्रार्थी सं. 1 ता 3 हर्ष नारायण, ईश्वर, रमेश पुत्रगण रूड़मल हिस्सा 1/3, प्रार्थी सं. 4 नरोतम पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/3, अप्रार्थी सं. 2 ता 4 रामोतार, कालूराम पुत्र नानगराम व गोपाल पुत्र हरनाथमल पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/3 जाति ब्राहमण निवासीगण आभावास तहसील रींगस जिला सीकर के नाम से संशोधित प्रपत्र 12ए जारी होकर आयुक्त, देवस्थान विभाग,उदयपुर (राजस्थान) व सम्बन्धित को प्रति भिजवाई जावे। फार्म 12ए में इस प्रकार का नोट लगाया जावे कि यह वार्षिक वृति प्राप्त करने हेतु ही मान्य होगा। राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी में नाम अंकन हेतु मान्य नही होगा। भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में ही रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(रतन कुमार स्वामी)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

संशोधन प्रपत्र 12"अ"

(नियम 39(3)देखें)

कार्यालय अपर जिला कलक्टर (जागीर) सीकर (राज.)

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1969 की धारा 7 की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत वार्षिक भुगतान की निरन्तरता का प्रमाण पत्र।

जागीर का नाम ग्राम आभावास वर्तमान तहसील रींगस संस्थान का नाम मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी पुजारी माल्या पुत्र हजारी, किशनलाल, केशरमल पुत्र जोधराज, कन्हैया पुत्र मंगल, नानाराम पुत्र मंगलचन्द, फूली बेवा नारायण, रूड़मल पुत्र छोटूनाथ, कन्हैयालाल बिड़दीचंद, नाथूलाल रामप्रताप पर अंकित नाम के अनुसार नाम जागीर आभावास क्लेम नम्बर क्रमशः **246, 249**

प्रमाणित किया जाता है कि मंदिर श्री बालमुकुन्द जी संस्था धार्मिक शैक्षणिक अथवा दायत्य प्रकृति की है ओर यह राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1969 की द्वितीय अनुसूची की धारा 26 और अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत 1.7.63 से उपरोक्त जागीर के पुर्नग्रहण के कारण रूपये क्रमशः 3.18/–, 57.12/– पैसे वार्षिकी निरन्तरता भुगतान प्राप्त के लिये अधिकृत है। कथित संस्था की वार्षिकी का भुगतान देवस्थान आयुक्त राज0 द्वारा होगा जो कि जागीर पुर्नग्रहण की तिथी से प्रारम्भ होकर प्रति वर्ष देवस्थान विभाग के इस हेतु नियत बजट से देय होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित प्रपत्र 12–अ पूर्व पुजारीगण की मृत्युपरान्त उनके स्थान पर प्रार्थीगण प्रार्थी सं. 1 ता 3 हर्ष नारायण, ईश्वर, रमेश पुत्रगण रूड़मल हिस्सा 1/3, प्रार्थी सं. 4 नरोतम पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/3, अप्रार्थी सं. 2 ता 4 रामोतार, कालूराम पुत्र नानगराम व गोपाल पुत्र हरनाथमल पुत्र मंगलचन्द हिस्सा 1/3 जाति ब्राहमण निवासीगण आभावास वर्तमान तहसील रींगस जिला सीकर को निर्णय दिनांक 09.04.2026 की अनुपालना में केवल मन्दिर श्री बालमुकुन्द जी की वार्षिकी वृति प्राप्त करने हेतु जारी किया गया है। यह आदेश राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी में नाम अंकित हेतु मान्य नही होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निल की धनराशि अंतरित मुआवजे के रुप में पहले ही दी जा चुकी है और जिसे उपरोक्तानुसार देय वार्षिक में से कम किया जाना है।

आज दिनांक 09.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

अपर जिला कलक्टर(जागीर)
सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक 210-13 /जागीर/26

दिनांक :13 अप्रेल, 2026

प्रतिलिपिः–

1.आयुक्त, देवस्थान विभाग, राज0 उदयपुर।
2.महालेखाकर, राज0 जयपुर ।
3.तहसीलदार रींगस
4.पुजारीगण समस्त।

अपर जिला कलक्टर(जागीर)
सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर